

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या-65/2020 (एम.ए.सी.पी.सं. 217/2018)

श्रीमती कनीजा आदि बनाम बुद्ध सिंह आदि

29.06.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। प्रार्थीगण/याचीगण मय विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित।

3 बी प्रार्थनापत्र जिसे शपथपत्र प्रपत्र संख्या 5 सी2 से समर्थित किया गया है, में प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है, कि मूल याचिका दिनांक 26.02.2019 को निर्णीत की जा चुकी है जिसके अनुसार मुब. 4,75,000/- रुपये मय 7 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित एवार्ड पारित हुआ था, जो धनराशि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा मुब. 5,02,981/- रुपये जरिये चेक न्यायाधिकरण में जमा की जा चुकी थी तथा जिसे प्रार्थीगण प्राप्त कर चुके हैं। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एफ.ए.एफ.ओ. नं. 1575/2019 श्रीमती कनीजा अदि बनाम बुद्ध सिंह आदि प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 09.01.2020 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित कर विपक्षी बीमा कम्पनी को आदेशित किया गया कि वह प्रतिकर की राशि 9,47,500/- व याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक से भुगतान की तिथि तक 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित न्यायाधिकरण में जमा करें तथा यह भी आदेशित किया गया कि पूर्व में जमा धनराशि को उक्त धनराशि में घटाई जाये, जिसके अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा मुब. 5,34,923/- रुपये की चेक न्यायाधिकरण में जमा कर दी है, जिसे मय ब्याज प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण ने दिया है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने आधार कार्ड व पास बुक की छाया प्रतियां व एम.ए.सी.पी. सं. 217/2018 में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय की छाया प्रति, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के एफ.ए.एफ.ओ. नं. 1575/2019 में पारित आदेश दिनांकित 09.01.2020 की AUTHENTICATED प्रति पत्रावली पर दाखिल की गयी हैं एवं असल पासबुक प्रार्थीगण द्वारा अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयीं हैं। प्रार्थिया श्रीमती कनीजा ने अपने शपथपत्र 5 सी2 में यह भी कथन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में पारित आदेश के विरुद्ध याचीगण अथवा विपक्षीगण ने माननीय उच्चतम् न्यायालय में न तो कोई मामला प्रस्तुत किया है और न ही विचाराधीन है। न्यायाधिकरण द्वारा एम.ए.सी.पी. सं. 217/2018 में पारित निर्णय दिनांकित 26.02.2019 जनपद न्यायालय, झाँसी की वेब साइट पर उपलब्ध है, जो सत्यप्रतिलिपि के समान है तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेब साइट पर उक्त एफ.ए.एफ.ओ. नं. 1575/2019 में पारित आदेश दिनांकित 09.01.2020 भी उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश के अनुसार प्रकरण में पहले से जमाशुदा धनराशि को घटाकर धनराशि जमा होनी थी, जिसके अनुपालन में एवार्ड की धनराशि 5,34,923/-रुपये न्यायाधिकरण की चेक पंजिका के क्रमांक 73 पर दिनांक 12.06.2020 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी में जमा होना दर्शित है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश/एवार्ड के अनुपालन में उक्त जमाशुदा धनराशि मय ब्याज प्रार्थीगण पाने के अधिकारी हैं। अतः

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकीर्ण वाद सं. 65/2020 (एम.ए.सी.पी. सं. 217/2018) श्रीमती कनीजा आदि बनाम बुद्ध सिंह आदि के प्रकरण में

प्रार्थी/याची	धनराशि रुपयों मे	+ अर्जित ब्याज का %	अदायगी का तरीका	खाता संख्या	बैंक	IFSC
1. श्रीमती कनीजा	140771	26.32	RTGS/ NEFT	2924000100112938	PNB	PUNB0292400
1. श्रीमती कनीजा	112617	21.07	3 Yrs. FD	Any Nationalized Bank		<u>Condition: Niether loan will be allowed on FD nor it will be mortgaged.</u>
2. शरीफ खाँ	28153	5.26	RTGS/ NEFT	2924000101097210	PNB	PUNB0292400
2. शरीफ खाँ	28153	5.26	3 Yrs. FD	Any Nationalized Bank		<u>Condition: Niether loan will be allowed on FD nor it will be mortgaged.</u>
3. शाहिद खाँ	28153	5.26	RTGS/ NEFT	3671000101189768	PNB	PUNB0367100
3. शाहिद खाँ	28153	5.26	3 Yrs. FD	Any Nationalized Bank		<u>Condition: Niether loan will be allowed on FD nor it will be mortgaged.</u>
4. राजा खाँ	28153	5.26	RTGS/ NEFT	2924001501129752	PNB	PUNB0292400
4. राजा खाँ	28153	5.26	3 Yrs. FD	Any Nationalized Bank		<u>Condition: Niether loan will be allowed on FD nor it will be mortgaged.</u>
5. रिजवाना बानो	28153	5.26	RTGS/ NEFT	2924001501148030	PNB	PUNB0292400
5. रिजवाना बानो	28153	5.26	3 Yrs. FD	Any Nationalized Bank		<u>Condition: Niether loan will be allowed on FD nor it will be mortgaged.</u>
6. जावेद खाँ	46311	8.66	RTGS/ NEFT	2924001501134541	PNB	PUNB0292400
6. जावेद खाँ	10000	1.87	3 Yrs. FD	Any Nationalized Bank		<u>Condition: Niether loan will be allowed on FD nor it will be mortgaged.</u>
कुल	534923	100				

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।